छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्र.06......../विस/वाहन/2010, रायपुर, दिनांक 23 ,जनवरी, 2010

एम्बेसेडर वाहन विक्रय हेतु तृतीय (अंतिम) निविदा

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार एम्बेसेडर (A/C) CG-02/0104 माडल वर्ष 2001 के विक्रय हेतु निविदाकर्ता अपनी सीलबंद निविदा दिनांक 05/02/2010 तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में 11:00 बजे से 03:00 बजे तक दे सकते हैं।

निविदा के साथ रूपये 5000/–(रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट ''सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा'' को देय संलग्न करना अनिवार्य होगा। वाहन का अवलोकन कार्यालयीन दिवसों में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक किया जा सकता हैं।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें किसी भी कार्यालयीन दिवस में वाहन शाखा से राशि रू. 100/–(एक सौ रूपये) में प्राप्त की जा सकती है, अथवा छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट www. cgvidhansabha.gov.in से डाउन लोड की जा सकती है । जिसका शुल्क रू. 100/–(एक सौ रूपये) विधानसभा सचिवालय में निविदा जमा करने के पूर्व जमा करना होगा ।

निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार सचिव, विधानसभा को होगा।

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

दिनांक............

तृतीय (अंतिम) निविदा प्रपत्र

1. फर्म या व्यक्ति का नाम :–
2. पत्र व्यवहार का पता एवं दूरभाष :–
3. संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण :–

बैंक का नाम	राशि	ड्राफ्ट क्र./दिनांक
	रूपये 5,000/–	

4. क्रय हेतु प्रस्तावित राशि रू..........................(रूपये...)

नियम व शर्तें:–

1. वाहन जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में मूल्य दर आमंत्रित की जाती है एवं प्रदाय भी उसी स्थिति में किया जावेगा ।
2. अमानत राशि के रूप में रू. 5,000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट ''सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा'' के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। नगद राशि किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा मूल्य साफ सुंदर और सुस्पष्ट अंकों व शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। कॉटछॉट वाली निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. निविदा मूल्य दर बंद लिफाफे में स्वीकार की जायेगी । लिफाफे पर "वाहन हेतु निविदा" लिखकर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर" के पते पर जमा किया जायेगा।
5. अधिकतम प्रस्तावित दर एवं द्वितीय प्रस्तावित दर वाले निविदाकर्ता की अमानत राशि रोककर शेष की अमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
6. सफल निविदाकर्ता को निविदा मूल्य राशि तीन दिवस के अंदर जमा करना होगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जमा राशि राजसात करते हुए द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को राशि जमा करने के लिए निर्देश दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा।
7. प्रदाय आदेश जारी होने के 03 दिवसों के अंदर वाहन स्वयं के व्यय से उठाना होगा तथा वाहन के पंजीकरण की कार्यवाही स्वयं के व्यय से एक सप्ताह में करानी होगी ।

8. वाहन का उपयोग पंजीयन के पश्चात ही किया जाएगा । इस हेतु घोषणा पत्र भी वाहन प्राप्त करते समय देना होगा ।

9. भरा हुआ निविदा फार्म दिनांक 05 फरवरी, 2010 को अपराह्न 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

10. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को समस्त निविदा या किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
(निविदाकर्ता)
नामः–
पताः–